

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

प्रेषक,

चन्द्रिमा अत्री, भा०प्र०से०,
निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक-17.07.2026

विषय:- राज्य आयुक्त निःशक्तता के नियुक्ति हेतु छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के सूचना के प्रकाशन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के राज्य आयुक्त निःशक्तता की नियुक्ति हेतु छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा दिनांक-08.06.2026 को लिये गये निर्णय की सूचना का प्रकाशन प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में किया जाना है। सूचना सामग्री हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना को शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय ।

अनु०-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-01/दि०स०नि०(स्था०)रा०आ०नि०-01/2021 स.क.-636 पटना, दिनांक-17.07.2026

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संलग्न सूचना सामग्री को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना ।

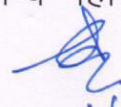
बिहार सरकार
(समाज कल्याण विभाग)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800001

सूचना

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुबंध के आधार पर राज्य आयुक्त, निःशक्तता की नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे, जिसका प्रकाशन राज्य के विभिन्न सामाचार पत्रों में दिनांक-06.08.2024 को किया गया था। उक्त के आलोक में आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक-23.8.2024 तक कुल 21 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आवेदनों को दिनांक-08.06.2026 को हुई बैठक में छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा जाँच एवं समीक्षोपरान्त राज्य आयुक्त, निःशक्तता की नियुक्ति हेतु किसी उम्मीदवार की योग्यता को मान्य अर्हता के अनुरूप नहीं पाया गया।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक-17.06.2026 को समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर सभी आवेदकों द्वारा दावा/आपत्ति की मांग की गयी। उक्त के आलोक में दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि दिनांक-25.06.2026 तक कुल 04 आवेदकों द्वारा निदेशालय को आपत्ति उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त सभी आपत्तियों को छानबीन-सह-चयन समिति द्वारा गहन समीक्षोपरांत पूर्णतः खारिज करते हुए राज्य आयुक्त, निःशक्तता की नियुक्ति हेतु किसी उम्मीदवार की योग्यता को मान्य अर्हता के अनुरूप नहीं पाया गया।

अतएव समिति द्वारा कोई भी आवेदन अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया।


16/07/26
निदेशक

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
बिहार, पटना।